न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 24/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. गणपतसिंह उर्फ भंवरसिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी धनला तहसील मारवाड़ जंक्शन		1. दीपक कंवर पत्नी भोपालसिंह पुत्री भैरूसिंह जाति राजपूत निवासी कमेरी तहसील राजाजी का करेड़ा जिला भीलवाड़ा 2. कालूसिंह 3. संग्रामसिंह 4. महेन्द्रसिंह 5. मेजरसिंह पि0 भैरूसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण धलना तहसील मारवाड़ जंक्शन 6. तहसीलदार (भूमिधारी) मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री महावीरसिंह, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री गजेन्द्रसिंह चारण, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 6 की ओर से

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 26.11.18

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 237/2015 दीपक कंवर बनाम गणपतसिंह उर्फ भंवरसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.02.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया। उक्त पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

समक्ष प्रतिवादीगण के जवाब हेतु नियत थी तथा प्रतिवादीगण सहमत नहीं होने के बावजूद भी उनकी सहमति अंकित करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं दिया तथा बिना तनकीयात कायम किए एवं साक्ष्य संग्रहित किए बिना ही पक्षकारान् के सहमत नहीं होने के बावजूद भी सहमति अंकित करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए प्रकरण पुनः विधिक प्रक्रिया अनुसार सुनवाई करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया था। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। हस्तगत निर्णय के सम्बन्ध में प्रकरण लोक अदालत/कोर्ट कैम्प में प्रस्तुत होने पर अपीलाण्ट वहां उपस्थित हुए थे तथा विभाजन हेतु सहमति प्रकट करते हुए आदेशिका पर हस्ताक्षर किए थे। अपीलाण्ट द्वारा लम्बे समय तक जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा लोक अदालत के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राथमिक डिक्री जारी कराने हेतु सहमति व्यक्त की गई थी, इसके दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील में यह भी जाहिर नहीं किया कि जैर अपील निर्णय एवं डिक्री में अवैधता क्या है ? प्रतिवादीगण द्वारा भी इसी भूमि के सम्बन्ध में एक वाद संख्या 272/2015 प्रस्तुत किया था, जिसमें सहमति स्वरूप प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर है। चूंकि पक्षकारान् द्वारा वाद को स्वीकार किया जा चुका था, इस कारण न्यायालय को तनकीयात कायम करने की आवश्यकता ही नहीं थी। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। तहसीलदार द्वारा नियमों की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जैर अपील विवादित आराजी में अपीलाण्ट तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 की सह खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि का विधिक विभाजन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। इसी भूमि को लेकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पृथक से वाद प्रस्तुत कर खातेदारी घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं विभाजन का अनुतोष चाहा था, जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील पत्रावली के संलग्न नत्थी कर दिया। अब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से जैर अपील प्रकरण ही विचारण योग्य था तथा उसमें पारित निर्णय दोनों ही प्रकरणों पर समान रूप से प्रभावी थे। प्रकरण दिनांक 30.05.2017 को राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प धनला में प्रस्तुत हुई, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 5 उपस्थित थे, जिनके हस्ताक्षर पत्रावली की आदेशिका में अंकित

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

है, किन्तु लोक अदालत में समस्त पक्षकार उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण को नियमित सुनवाई हेतु न्यायालय में नियत किया गया। इस दरम्यान पत्रावली प्रतिवादी संख्या 1 अर्थात अपीलाण्ट के जवाबदावा में नियत थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायलय द्वारा दिनांक 21.02.2017 को अपीलाण्ट के कथनों को सत्य मानते हुए न्याय आपके द्वार अभियान में पक्षकारान् की विभाजन हेतु सहमति मानते हुए जैर अपील आदेश पारित कर दिया, जबकि न्याय आपके द्वारा अभियान में समस्त पक्षकार उपस्थित ही नहीं हुए थे। उक्त आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष जो विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, उस पर भी टिप्पणी किया जाना प्रकट होता है, क्योंकि विधिक दृष्टिकोण से उक्त बिन्दु भी रेखांकित किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, वह भू0अ0नि0 द्वारा तैयार किया जाकर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को प्रेषित किया है, जिसे तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा मात्र अग्रेसित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

विभाजन के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 के अनुसार उक्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार किया जाना आज्ञापक है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 में सक्षम न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन करने का प्रावधान निम्न प्रकार है – S..20 of RAJASTHAN TENANCY (Revenue Board) Rules, 1955 - 20 DIVISION OF HOLDING BY DECREE.

Same as provided in Rule 19 in a division of holding by the decree or order of a competent court passed in a suit by one or more of the co-tenant for the purpose of dividing the holding the distributing the rent thereof over the several portions into which it is divided the following principles shall be observed:-

(a) The valuation of the portion allotted to each party shall be proportionate to his share in the holding.

(b) The portion allotted to each party shall be as compact as possible.

(c) As far as possible, no party shall be given all the inferior or all the superior quality of land.

(d) As far as possible, existing fields shall not be split up.

(e) Plots which are in the separate possession of a tenant shall, as far as possible, be allotted to the tenant, if they are not in excess of his share.

Division of Holding by Agreement or by Order of Court"

नियम 21 में नक्शा बनाना और उपविभाजित खेतों का अंकन करने का प्रावधान इस प्रकार है कि तहसीलदार नक्शा बनाएगा और उसे अभिलेख पर रखेगा, जिसमें प्रत्येक पक्षकार को दिया गया भूखण्ड अलग–अलग रंगों से दिखाया जायेगा और किसी खेत को उपविभाजित किया गया है, तो वह पक्षकारों के खर्चे पर उनके भाग को चिन्हित/अंकित करेगा। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार ही नहीं किया गया तथा इस आधार पर यदि प्रकरण में अन्तिम डिक्री पारित की जाती है, तो यह एक नए वाद का सृजन करेंगा। इस सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल की मुख्य पीठ द्वारा आर0आर0डी0 2017 पेज 679 में निम्न अभिमत प्रकट किया है –

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Rajasthan Tenancy (Board of Revenue) Rules , 1955, Rules 18 to 21 - Reference - Preparation of proposal for division by Tehsildar - Question for consideration is whether under Rules 18 to 21 of Rajasthan Tenancy (Board of Revenue) Rules , 1955, proposal for division to be prepared by Tehsildar is mandatory or Tehsildar may sub-delegate his administrative power in respect of preparation of proposal for division - Held, it is mandatory for Tehsildar that he himself inspect site and prepare proposal for division of holdings - He may entrust ministerial work to its subordinate Naib Tehsildar, ILR or Patwari etc., for preparation of map and demarcation of sub-divided field and filing of colours - Imperative upon Tehsildar that he himself prepare report under his seal and signature, he can not forward report prepared by ILR, Patwari and draftsman without application of his mind - Directions to SDO to ensure that report submitted before him prepared by Tehsildar as per law and if report not prepared by Tehsildar himself then SDO to return it to Tehsildar for preparation of report - Direction to Registrar, Board of Revenue to send copy of judgment to all concerned for compliance and action.

उपरोक्त न्याय निर्णय से यह स्थिति प्रकट होती है कि नियम 18 से 21 में जो प्रावधान प्रदत्त है, उसके अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार ही अधिकृत है, जिसके द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त हस्तगत निर्णय लोक अदालत में पारित किया गया है। इस सम्बन्ध में विधिक प्रश्न प्रकट होता है कि क्या पक्षकारान की अनुपस्थिति में एवं पक्षकारान् की सहमति के बिना लोक अदालत के माध्यम से पारित निर्णय विधि सम्मत है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर0सी0आर0 (सिविल) 2006 (4) पेज 947 सहित विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि " Legal Services Authorities Act 1987, Section 20 - Power of disposal of cases by Lok Adalat - No order can be passed by Lok Adalat if no compromise or settlement is or could be arrived at between parties" इसका विस्तृत विवेचन इस प्रकार किया है कि "The specific language used in sub-section of Section 20 makes it clear that the Lok Adalat can dispose of a matter by way of a compromise or settlement between the parties, Two crucial terms in sun-section (3) and (5) of Section 20 are "compromise" and "settlement". The former expression means settlement of differences by mutual concessions. It is an agreement reached by adjustment of conflicting or opposing claims by reciprocal modification of demands. As per Terms de la Ley, 'compromise is a mutual promise of two or more parties that are at controversy. As per Bouvier it is "an agreement between two or more persons, who, to avoid a law suit, amicably settle their differences, on such terms as they can agree upon" The word "compromise" implies some element of accommodation on each side. It is not apt to describe total surrender. A compromise is always bilateral and means mutual adjustment. "Settlement" is a termination of legal proceedings by mutual consent. If no compromise or settlement is or could be arrived at, no order and be passed by the Lok Adalat." इसी प्रकार एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 9194/2016 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि जब पक्षकारान् के मध्य राजीनामा अथवा सहमति नहीं हो, तो लोक अदालत के माध्यम से आदेश पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उक्त अभिनिर्णयों से हस्तगत प्रकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पूर्णतः प्रभावित होता है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना किए बिना ही लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारान में सहमति के बिना जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण समर्थन योग्य नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) मारवाड़ जंक्शन द्वारा राजस्व वाद संख्या 237/2015 दीपक कंवर बनाम गणपतसिंह उर्फ भंवरसिंह वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.02.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य, सुनवाई का अवसर प्रदान कर, तनकीयात कायम कर, तनकीयात पर उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 नियम 5 के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार पृथक पृथक विनिश्चय करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली